

दिनांक 07-11- 2019

वादी अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 एवं 02 की ओर से हाजरी दी गई। अभिलेख आज वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठनीय धारा 151 C. p.c दिनांक 7 /09/2019 तथा उसके विरुद्ध प्रतिवादी प्रथम पक्ष (प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2) की ओर से प्रस्तुत कारणपृच्छा दिनांक 11/09/ 2019 पर सुनवाई के पश्चात आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ।

वादी की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त वर्णित आवेदन के आलोक में कथन किये हैं की वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद प्रस्तुत करके अनुतोष मांगा है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी गणों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए यह घोषित किया जाए की वादी विवादित भूमि पर शिकमीदार के हैसियत से दखल कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। वादी के द्वारा कहा गया है कि विवादित भूमि जानकी नगर स्थित एक मठ से संबंधित है , जिसके महंत रामदास थे तथा उनका शिष्य राघव दास थे। रीविजनल सर्वे के पूर्व महंत रामदास की मृत्यु हो गई तथा उनके मृत्यु के पश्चात उनके शिष्य राघव दास को मठ की सारी संपत्ति उत्तराधिकार के रूप में मिला। महंत राघव दास ने विवादित जमीन तीर्थ नाथ झा को शिकमीदार के रूप में दखल कब्जा दे दिया। खाता संख्या 163 , कैमी खाता संख्या 613 के रैयती खतियान में शिकमीदार के रूप में तीर्थ नाथ झा का नाम दर्ज हुआ ,जिसके कब्जा धारी के रूप में उनकी पुत्री बगलामुखी देवी का नाम दर्ज है। तीर्थ नाथ झा के मृत्यु के पश्चात विवादित जमीन के शिकमीदार का अधिकार उनके तीनों पुत्र गणेशा झा , रामा कांत झा एवं कुशेश्वर झा को उत्तराधिकार के रूप में मिला। स्वर्गीय तीर्थ नाथ झा के तीनों पुत्र एवं पुत्री के मरने के पश्चात वादी गण को शिकमीदार का अधिकार उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ , जिस पर वादी गण लगातार शांतिपूर्ण दखल कब्जा में है तथा इस पर Kaimi Right के स्थानांतरण का कोई औचित्य नहीं रहता है। महंत राघव दास के पुत्र एवं विधवा बहू प्रतिवादी द्वितीय पक्ष विवादित भूमि के Kaimi Right का स्थानांतरण प्रतिवादी प्रथम पक्ष को बिना किसी अधिकार के कर दिया। प्रतिवादी प्रथम पक्ष बलपूर्वक विवादित भूमि से वादी को बेदखल करना चाहता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है की न्यायालय के द्वारा दिनांक 3/10 /2019 को विवादित भूमि पर निर्माण के संदर्भ में प्रतिवेदन देने हेतु श्री मुरलीधर मिश्रा , विद्वान अधिवक्ता को Pleader Commissioner प्रतिनियुक्त किया गया था तथा प्रतिनियुक्त Pleader Commissioner ने दिनांक 16 /10/ 2019 को विवादित भूमि के संदर्भ में प्रतिवेदन न्यायालय में दाखिल कर दिए हैं , जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित भूमि के एक कट्ठा जमीन पर टीना का 2 अर्द्ध निर्मित घर , एक नाद , 4 छोटा पिलर युक्त मचान , जिस पर टीना का छत बना हुआ है तथा जो लगभग 1 साल पुराना है। वादी का कहना है कि प्रतिवादी गण को वाद विचारण के दौरान विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं निर्माण करने से रोका जाए क्योंकि प्रथम दृष्टया यह वाद वादी के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत होता है तथा यदि प्रतिवादी गण को विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण करने से न रोका गया तो वादी को अपूरणीय क्षति होगा तथा सुविधा का संतुलन भी वादी के पक्ष में है। अतः वादी की ओर से यह प्रार्थना किया गया है कि बलभद्र प्रसाद सिंह बनाम राज्य (cwjc No. 6350/1993) में दिनांक 5/03/ 2010 तथा श्रीमती पतिया देवी एवं अन्य में दिनांक 5/7/ 2010 में पारित आदेश के आलोक में प्रतिवादी गणों के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा

जारी करके वाद विचारण तक उन्हें विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने तथा कोई निर्माण कार्य करने से रोका जाए।

प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से उनके विधान अधिवक्ता का कहना है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत कर दिया गया है तथा उसे कारणपृच्छा का अंश समझा जाए। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि राम दास किसी मठ के महंत नहीं थे। रामदास राघव दास के गुरु थे तथा राघवदास उनसे दीक्षा लिए थे। राघव दास स्वयं जमीन अर्जित किए तथा निजी कार्य हेतु उस पर निर्माण करवाएं एवं पूजा पाठ करने हेतु एक मंदिर बनवाए, जो उनका पारिवारिक मंदिर था तथा वह कोई Public /Private trust नहीं था एवं उस मंदिर में आम आदमी को पूजा पाठ करने की अनुमति नहीं थी। राघव दास के मृत्यु के पश्चात हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उनके वारिसान को उनकी संपत्ति प्राप्त हुआ। प्रतिवादी गण का कहना है कि तीरथ नाथ झा कभी भी विवादित जमीन पर शिकमीदार के रूप दखल कार नहीं हुए। प्रतिवादी गण का यह भी कथन है कि तीरथ नाथ झा ने बिना किसी आधार के गलत ढंग से विवादित जमीन का खतियान अपने नाम से शिकमीदार के रूप में दर्ज करवा लिया। वादी गण एवं उनके पूर्वजों का कभी भी विवादित जमीन पर कोई अधिकार, हित या दखल कब्जा नहीं था। राघव दास की मृत्यु होने के पश्चात विवादित भूमि उनके वारिसानो के खास दखल कब्जा में आ गया तथा वे बिहार सरकार को राजस्व का भुगतान भी करते रहें। राघव दास की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान के बीच उनकी संपत्ति का बंटवारा हुआ, जिसमें विवादित भूमि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के हित में प्राप्त हुआ तथा विवादित भूमि को प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने दिनांक 27 -12- 2018 को उचित मूल्य लेकर प्रतिवादी प्रथम पक्ष को केवाला कर दिया तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष विवादित भूमि को खरीदने के पश्चात दाखिल खारिज करने हेतु आवेदन दिया है। प्रतिवादी गण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि शिकमीदार का अधिकार उत्तराधिकारी को प्राप्त नहीं होता है। इस तरह प्रथम दृष्टया यह वाद वादी के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत नहीं होता है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश न जारी करने से वादी को कोई क्षति भी नहीं होगी तथा इस परिस्थिति में सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं है। प्रतिवादी की ओर से प्रार्थना की गई है कि वादी का निषेधाज्ञा आवेदन न्याय हित में खारिज किया जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। वादी गण का कहना है कि विवादित भूमि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पूर्वज राघवदास को kaimi Right के तहत महंत रामदास से प्राप्त हुआ क्योंकि विवादित भूमि जानकी नगर स्थित मठ से संबंधित थी तथा रामदास उसके महंत थे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात राघवदास को उनके शिष्य होने के नाते प्राप्त हुआ जिस पर प्रतिवादी प्रथम पक्ष(राघव दास के वंशज) का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि वे राघव दास के शिष्य नहीं थे तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष बिना किसी हक एवं अधिकार के दिनांक 27/12/18 प्रतिवादी प्रथम पक्ष को केवाला कर दिया तथा विवादित भूमि के खतियान में वादी गण के पूर्वज का नाम शिकमीदार के रूप में दर्ज है। शिकमीदार का अधिकार वारिसान को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होता है तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष विवादित भूमि पर वादी को बेदखल कर उस पर निर्माण करना चाहता है। इसके विपरीत प्रतिवादी गण का कहना है कि विवादित भूमि पर वादीगण एवं उसके पूर्वजों का कोई अधिकार एवं दखल कब्जा नहीं प्राप्त है तथा वादी गण के पूर्वज तीरथ दास ने गलत ढंग से

बिना किसी अधिकार के विवादित भूमि के खतियानी रैयत में अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा विवादित भूमि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पूर्वज राघवदास को kaimi Right के तहत नहीं प्राप्त हुआ है , बल्कि वह उनकी स्व अर्जित संपत्ति है तथा उनके मरने के पश्चात उनके वारिसान प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को बटवारा से प्राप्त हुआ है। उक्त वाद की स्थिति यह है कि वर्तमान में वाद प्रारंभिक स्थिति में है तथा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष वाद में उपस्थित नहीं हुए हैं। प्रतिवादी प्रथम पक्ष वाद में उपस्थित होकर दिनांक 11/09/ 2019 को लिखित कथन दाखिल कर चुके हैं , परंतु उनकी ओर से अब तक कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी गण की ओर से वाद पत्र के साथ साथ खाता संख्या 163 के खतियान की मूल प्रति दाखिल की गई है। वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद प्रस्तुत करके मुख्य रूप से अनुतोष मांगा है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादी गणों के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करते हुए यह घोषित किया जाएगी की वादी विवादित भूमि पर शिकमीदार के हैसियत से दखल कब्जा प्राप्त करने का हकदार है। वादी के द्वारा दिनांक 7/9 /2019 को आवेदन दाखिल कर कहा है कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष विवादित भूमि पर वादी को बेदखल कर उस पर निर्माण करना चाह रहा है। अभिलेख पर विवादित भूमि के निर्माण के संदर्भ में Pleader Commissner का दिनांक 15 /10/19 का प्रतिवेदन विवादित स्थल के फोटोग्राफ के साथ उपलब्ध है , जिसके अवलोकन से प्रतीत होता है की विवादित भूमि के एक कट्ठा जमीन पर टीना का 2 अर्द्ध निर्मित घर , एक नाद , 4 छोटा पिलर युक्त मचान , जिस पर टीना का छत बना हुआ है तथा जो लगभग 1 साल पुराना है। Pleader Commissner के इस प्रतिवेदन पर उभय पक्षों द्वारा कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की गई है। वादी की ओर से निवेदन किया गया है कि वाद विचारण तक प्रतिवादी गण को विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य करने से रोका जाए। वादी के वाद दाखिल करने का मुख्य उद्देश्य विवादित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा रखना चाहता है तथा उसने इसके लिए न्याय शुल्क भी न्यायालय में दाखिल किया है। प्रतिवादी गण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सिकमीदार का अधिकार उत्तराधिकारी को प्राप्त नहीं होता है इस संदर्भ में Balbhadra Prasad Singh Vs. State of Bihar ,2010(3) PLJR 27 के अलावा कई मामलों में यह निर्धारित किया गया है की “ Such Under raiyats having occupancy right to succession etc. but cannot have the right transfer.” अतः यदि प्रतिवादी गण विवादित भूमि पर निर्माण कार्य कर लेता है तो वादी गण के द्वारा वाद लाने का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। उक्त वाद का उचित न्याय निर्णयन हेतु विवादित भूमि को यथास्थिति बनाए रखना अति आवश्यक है। क्योंकि वादी गण के द्वारा वाद पत्र के साथ खतियान (सिकमीदार) की मूल प्रति दाखिल किया गया है तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा अभी तक कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं प्रतिवादी द्वितीय पक्ष वाद में उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः प्रथम दृष्टया यह वाद वादी के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत होता है तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष का यह कहना कि वादी का विवादित भूमि में कोई दखल कब्जा नहीं प्राप्त है तथा वादी गण के पूर्वज के द्वारा गलत ढंग से बिना आधार के खतियान में अपना नाम दर्ज करवा लिया है , परंतु प्रतिवादी गण के द्वारा इस संदर्भ में किसी प्रकार कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जबकि वादी गण के द्वारा अपने पूर्वजों के नाम से खतियान (सिकमीदार) की प्रति दाखिल करने से सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में जाता हुआ प्रतीत होता है एवं इसी कारण और अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश न पारित करने से वादी

का वाद लाने का मुख्य उद्देश्य वाद विचारण के दौरान ही समाप्त हो जाएगा , इस तरह वादी को अपूरणीय क्षति होगा ।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों की विवेचना के उपरांत वादी की ओर से प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं 2 सहपठनीय धारा 151 सी.पी. सी दिनांक 7/9/ 2019 को स्वीकार करते हुए उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है की Pleader Commissioner के दिनांक 15/ 10/2019 के प्रतिवेदन अनुसार विवादित भूमि के जीतने अंश पर (टीना का 2 अर्द्ध निर्मित घर , एक नाद , 4 छोटा पिलर युक्त मचान , जिस पर टीना का छत) निर्माण कार्य हो चुका है , उसके अलावा विवादित भूमि के शेष अंश पर वाद विचारण के दौरान विवादित भूमि के प्रकृति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं करेंगे तथा उस पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य भी नहीं करेंगे । साथ ही वादी को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वाद - बिंदु गठन के 4 (चार) माह के अंदर अपना संपूर्ण साक्ष्य प्रस्तुत करें ।

इस आदेश में वर्णित मंतव्य वाद के अंतिम न्याय निर्णयन में गुण दोष को प्रभावित नहीं करेंगे ।

दिनांक

वाद बिंदु के गठन हेतु ।

अवर न्यायाधीश , बनमनखी

(पूर्णिया)

दिनांक 07/11/2019